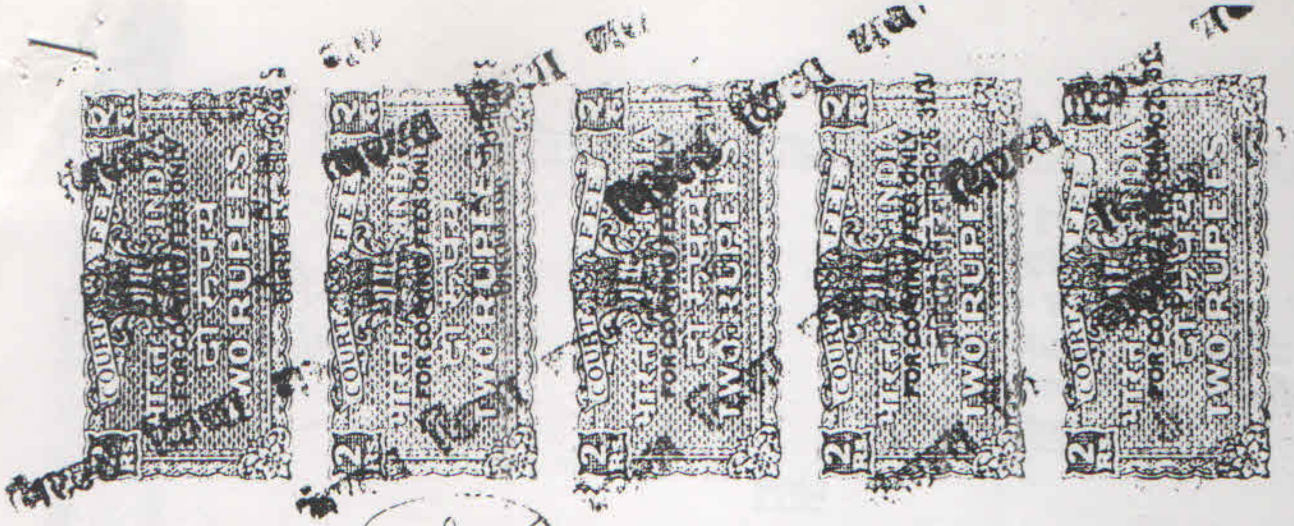

5×2
10=00

(335
30/1/10)

न्यायालय अपर जिलाधिकारी शहर मेरठ/ नकल आदेश दिनांक
30/01/10 वाद संख्या-150/08-10 माखनलाल एजुकेशनल ट्रस्ट
बनाम सरकार धारा 143 ZALR Act ग्राम [illegible] परगना [illegible]
तहसील [illegible] मेरठ/ प्रार्थना दिनांक 30/01/010

प्रतिलिपि पत्रावली [illegible] आदेश दिनांक 30/01/10 की
नकल प्राप्त करना है।

FOR MAKHAN LAL EDUCATIONAL TRUST
TRUSTEE

न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0), सदर, लखनऊ।

338
30/01/10

वाद सं0– 150 / 09–10
माखनलाल एजूकेशनल ट्रस्ट
बनाम उ0प्र0 सरकार।
धारा–143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट।
ग्राम– खाण्डेदेव, परगना–बिजनौर,
तहसील व जिला लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही माखनलाल एजूकेशनल ट्रस्ट, 568ख/35 गीतापल्ली कालोनी, आलमबाग, लखनऊ द्वारा चेयरमैन छोटेलाल शेखर पुत्र माखनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थी गाटा संख्या 1177 रकबा 1.642है0 में से 0.7785है0, 1180 रकबा 0.474है0, 1179 रकबा 0.228है0 व 1176 रकबा 0.687है0 स्थित ग्राम– खाण्डेदेव, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का भूमि स्वामी है तथा राजस्व अभिलेखों में भूमि ट्रस्ट के नाम दर्ज है। ट्रस्ट द्वारा उपरोक्त भूमियों की बाउण्ड्री वाल कराकर विद्यालय का निर्माण कराया गया है तथा निर्माण लगातार किया जा रहा है और विद्यालय के उपयोग से संबंधित कार्य के लिये उक्त भूमि उपयोग किया जा रहा है। अंत में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को विद्यालय उपयोग की भूमि घोषित करने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, सदर, लखनऊ ने अपनी आख्या दिनांक 30.01.10 में यह कहा है कि ग्राम– खाण्डेदेव, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की गाटा संख्या 1177स रकबा 0.778है0, 1179 रकबा 0.228है0, 1180 रकबा 0.474है0, 1176 रकबा 0.687है0 कुल 4 किता कुल रकबा 2.167है0 माखनलाल एजूकेशनल ट्रस्ट के नाम दर्ज है। गाटा संख्या 1176 रकबा 0.687है0 भूमि अभिलेखों में श्रीमती उर्मिला शेखर पत्नी छोटेलाल शेखर निवासी 568ख/35 गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ के नाम दर्ज है। श्रीमती उर्मिला शेखर द्वारा दिनांक 18.01.10 को माखनलाल एजूकेशनल ट्रस्ट के नाम रजिस्ट्री कर दी गयी है। गाटा संख्या 1177स, 1179, 1180 आपस में मिली हुई हैं। उक्त क्षेत्रफल में 204X87 फुट पर चार मंजिल भवन निर्माण है तथा शेष पर बाउण्ड्री वाल है। गाटा संख्या

1176 पर तार की बाउण्ड्री बनी हुई है। उक्त गाटा संख्याओं पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नहीं है। उक्त भूमि लखनऊ नगर–निगम सीमा से बाहर है। नियम 135(6) के अनुसार नियमानुसार शुल्क जमा करा कर निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गई है। गैर कृषिक प्रयोजन घोषित करने हेतु आख्या सम्प्रेषित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया और प्रार्थी की मौखिक बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है बल्कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग अकृषिक रूप में किया जा रहा है। ऐसी दशा में मौके पर भूमि का उपयोग गैरकृषिक होने के कारण उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांक 30.01.10 की पुष्टि की जाती है। ग्राम– खाण्डेदेव, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की गाटा संख्या 1177 रकबा 1.642हे0 में से 0.778हे0, 1179 रकबा 0.228हे0, 1180 रकबा 0.474हे0, 1176 रकबा 0.687हे0 कुल 4 किता कुल रकबा 2.167हे0 को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। अभिलेखों में अमल–दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर, लखनऊ को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

प्रतिलिपि कर्ता:
तुलनाकर्ता:
तिथि- 30/01/10

(महेन्द्र सिंह) 30/01/10
उप जिलाधिकारी/सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 30/01/10 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(महेन्द्र सिंह) 30/01/10
उप जिलाधिकारी/सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।

प्रार्थना-पत्र देने की तिथि: 30/01/10
तैयार करने की तिथि: 30/01/10
जारी करने की तिथि: 30/01/10
शुल्क: 10
की संख्या:

FOR MAKHAN LAL EDUCATIONAL TRUST
प्रमाणित प्रतिलिपि
TRUSTEE
30/01/10